न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 579/2016
GCMS NO. : 2016/00557

–:: वादीया ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. चैनाराम पुत्र शंकरजी जाति– बावरी, निवासी– चौकीदारो का बास, सेवरिया, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज।		1. चम्पालाल पुत्र मोहनलाल 2. जोदराम पुत्र मोहनलाल 3. महावीर पुत्र नारायणजी 4. दयाल पुत्र नारायणजी जाति बावरी निवासी बावरियो का बास सेवरिया दरवाजे के पास रास, तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, तारीख रजू:.16/12/2016

उपस्थितः– 1. श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक :– 27/07/2022

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध वादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी व उसके भाई श्रवण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा रास में खसरा संख्या 27 रकबा 10–09 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जिसके वादी खातेदार है तथा खातेदारी की जमीन पर कब्जा काश्त है। जिस पर वादी फसल बोता है वादी का कब्जा बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक लगातार चला आ रहा है। नकल वर्तमान जमाबंदी व नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। जिस वादपत्र का एक भाग माना जावे। वादी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि 10–09 बीघा पर वादी के खेत चारो और खन्दक लगाकर उस पर कांटो की बाड़ कर रखी है तथा खसरा संख्या 27 की भूमि में तारामीरा, मिर्च व कासमिरे की फसल बो रखी है तथा अपने कब्जे काश्त की भूमि में बोई गई फसल की रखवाली करने के लिए कच्चे दीवारो से अस्थाई निर्माण कर झोपड़ी बना रखी है जिस पर चद्दर डाले हुए है जिसमें वादी निवास कर फसलो की रखवाली करता है।, वादी के हिस्से की जमीन ख़सरा, संख्या 27 की कृषि भूमि के चारो ओर वादी द्वारा फसलो की सुरक्षा व कब्जे के लिए खन्दल लगाई गई खन्दक को तोड़कर प्रतिवादीगण वादी की फसल को नुकसान पहुंचाते है तथा वादी के हक हिस्से की भूमि में जबरन कब्जा करने के आशय से दिनांक 24.11.2016 को प्रतिवादीगण ने वादी द्वारा की जा रही काश्त में दखलन्दाजी करने व कब्जा करने की कोशिश करने लगे तथा वादी को धमकी दी की तुम्हारे द्वारा बोई गई फसल को नष्ट कर देंगे तुम्हारे रहने के लिए बनाई गई झोपड़ी को तोड़ देंगे तथा जमीन पर खन्दक [illegible] की बाड तोड़ कर कब्जा कर लेंगे जबकि प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर दखलन्दाजी करने का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण जो कि हर समय वादी के साथ लड़ाई झगड़ा करने व वादी की कब्जे काश्त की जमीन पर कब्जा करने पर आमादा रहते है जिन्हे कानूनी रूप से रोका जाना अतिआवश्यक है प्रतिवादीगण जो कि संख्या में ज्यादा है वादी के कब्जे काश्त की जमीन पर बोई गई फसल को नष्ट कर कब्जा कर लेते है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

वादी अपने हक अधिकारो से वंचित हो जायेगा वादी को आर्थिक नुकसान कारित होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नही हो सकेगी। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से दखलन्दाजी करने से कब्जा करने से रोका जाना कानूनन आवश्यक है। वादी का राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार नाम दर्ज होने तथा लगातार शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा होने तथा मौका पर वादी द्वारा फसल बोई हुई होने से व मौके की स्थिति से वादी का बहुत ही मजबूत व प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित है वादी को अपने हक अधिकारो की रक्षा के लिए वादपत्र प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नही होने से वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी का बिनाय दावा दिनांक 24.11.2016 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उसके द्वारा बोई गई फसल को नष्ट करने जमीन पर कब्जा करने व काश्त करने में दखलन्दाजी करने की धमकी देने पर मौजा रास तहसील जैतारण में उत्पन्न होता है जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को अनेकानेक पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाबदावा पेश नही करने से जवाबदावा अवसर बंद किया जाता है। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्यवादी में साक्ष्य शपथ पेश किए जो शामिल मिसल किए गए। अधिवक्ता प्रतिवादी साक्ष्यवादी पेश नही करना चाहते है, अतः साक्ष्यप्रतिवादी बंद की जाती है। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

हमनें .पत्रावली वादपत्र एवं साक्ष्य शपथपत्रों सहित अन्य दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व उसके भाई श्रवण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम रास में खसरा संख्या 27 रकबा 10-09 बीघा स्थित है, जिस पर वादी काबिज काश्त है। जिसके चारो ओर खन्दक लगाकर कांटो की बाड़ कर रखी है। एवं कच्ची दीवारो से अस्थाई निर्माण कर झोपड़ी बना रखी है। प्रतिवादीगण उक्त खन्दक को तोड़कर वादी की फसल को नुकसान पहुंचाते है तथा जबरन वादी की जमीन पर कब्जा करने पर आमादा है। जिन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रोका जाना आवश्यक है।

2. प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नही करने से जवाबदावा का अवसर बंद किया गया।

3. वादी द्वारा साक्ष्यवादी में स्वयं का शपथ पत्र पी.डब्ल्यु.1 प्रस्तुत कर खसरा संख्या 27 का नजरी नक्शा प्रदर्श-1, जमाबंदी संवत् 2069-72 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श-2 तथा खसरा गिरदावरी प्रदर्श-3 प्रस्तुत कर प्रदर्श करवाए। प्रदर्श-1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी भू अभिलेख में तरमीमशुदा है। प्रदर्श-2 के अनुसार वादग्रस्त आराजी आरम्भ में मगदुड़ी पुत्री बक्तावर बावरी की खातेदारी भूमि थी। जो [illegible] के नामान्तरण संख्या 3682 द्वारा सुगनाराम पुत्र मगदुड़ी के नाम दर्ज [illegible] संख्या 3697 द्वारा सुगनाराम के स्थान पर श्रवण चैना[illegible] कौम बावरी के नाम खातेदारी दर्ज की गई। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2077 से 2[illegible]0 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में चैनाराम पुत्र शंकर हिस्सा 1/2 एवं श्रवण पुत्र शंकर हिस्सा 1/2 बतौर सहखातेदार दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में वादी चैनाराम पुत्र शंकर 1/2 हिस्से का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सहखातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है वादी द्वारा सहखातेदार श्रवण पुत्र शंकर को बतौर पक्षकार संयोजित नही किया है ऐसी स्थिति में वादी जो कि 1/2 हिस्से का खातेदार है सम्पूर्ण आराजी के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। साथ ही वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक हो कि यदि अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता है तो प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द कर देंगे। अतः हमारे विनम्र अभिमत में वादी वादग्रस्त आराजी में से केवल 1/2 हिस्से का सहखातेदार होने, सहखातेदार श्रवण पुत्र शंकर को बतौर पक्षकार संयोजित नही करने एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को क्षति कारित करने एवं खुर्द बुर्द करने की प्रबल आशंका से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण वाद वादी बखूबी साबित नही होता है अतः वाद वादी अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद–वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज़ किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण, जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 27/07/2022 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. चैनाराम पुत्र शंकरजी जाति– बावरी, निवासी– चौकीदारो का बास, सेवरिया, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज।		1. चम्पालाल पुत्र मोहनलाल 2. जोदराम पुत्र मोहनलाल 3. महावीर पुत्र नारायणजी 4. दयाल पुत्र नारायणजी जाति बावरी निवासी बावरियो का बास सेवरिया दरवाजे के पास रास, तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व **वाद बाबत** स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत **धारा 188,**
राजस्थान **काश्तकारी अधिनियम, 1955**

मु0न0 :– रा0वा0 स0: 579/2016

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद–वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज़ किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **27/07/2022** को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02–00	स्टाम्प वकालतनामा	01–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	02–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	05–00	मिजानः–	01–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह ... ... को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:17 IST
Reason: SelfAttested